

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 22/10/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 21.10.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना दिलदारनगर पुलिस टीम द्वारा 03 राशी गोवंश व 01 पीकअप चार पहिया वाहन के साथ 02 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.10.2025 को उ0नि0 हरिमाधव पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 195/25 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर में प्रकाश में आये संबंधित वाछित अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र शिवदरस यादव निवासी भक्सी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 27 को भक्सी नहर पुलिया थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर व काजू यादव पुत्र राम प्यारे सिंह यादव निवासी भरवलियाँ थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष , ताड़ी घाट पुलिया के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.मुकेश यादव पुत्र शिवदरस यादव निवासी भक्सी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 27 वर्ष ।
- 2.काजू यादव पुत्र राम प्यारे सिंह यादव निवासी भरवलियाँ थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी -

- 1.03 राशी गोवंश
2. एक पीकअप रजि0नं नं0 BR 01 GP 9077

अपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 195/25 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

02. थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.10.2025 को उ0नि0 श्री भूपेशचन्द्र कुशवाहा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त विजय तिवारी को उसके घर ग्राम बेटाबर खुर्द थाना जमानिया से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 378/2025 धारा 115(2)/352/351(1)/76/65(2)/62 बीएनएस , 9n/9m/10/18 पॉक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. विजय तिवारी उर्फ छोटक पुत्र मैनेजर तिवारी नि0ग्राम0 बेटावर कलाँ थाना जमानिया जनपद गाजीपुर उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-11/2018 धारा 304 भादवि 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानियाँ गाजीपुर
2. मु0अ0सं0- 378/2025 धारा 115(2)/352/351(1)/76/65(2)/62 बीएनएस 9n/9m/10/18 पॉक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानियाँ गाजीपुर

03. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.10.2025 को प्र0नि0 नन्द कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा ग्राम सुरवत थाना कासिमाबाद में चेकिंग के दौरान शिव मंदिर के पास खड़े होकर आने-जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील गाने व टिप्पणी करने वाले 01 नफर अभियुक्त आशीष प्रजापति को शिव मन्दिर ग्राम सुरवत से गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 388/25 धारा 296 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

01. आशीष प्रजापति पुत्र शशि प्रजापति निवासी ग्राम सुरवत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 388/25 धारा 296 बीएनएस थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर